

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/982/2021-171

/राँची, दिनांक-1-3-21

कार्यालय आदेश

निदेशानुसार निदेशक, उद्योग विभाग के पत्रांक- SWS/19, दिनांक-2.02.2021 के क्रम में “Reducing Compliance Burden and decriminalization of existing Rule/Regulation & Policies under guideline of DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)” के संबंध में Existing Act/ Bihar Irrigation Act 97 की समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार इसके विभिन्न प्रावधानों में संशोधन की अनुशंसा करने हेतु एक समिति का गठन किया जाता है। अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति में निम्नांकित पदाधिकारियों को नामित किया जाता है :-

1. अभियंता प्रमुख-I जल संसाधन विभाग	:-	अध्यक्ष
2. अभियंता प्रमुख-II जल संसाधन विभाग	:-	सदस्य
3. मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची	:-	सदस्य
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर	:-	सदस्य
5. अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, राँची	:-	सदस्य सचिव
6. विधि समन्वयक, जल संसाधन विभाग, राँची	:-	सदस्य

यह समिति समय-समय पर बैठक आयोजित कर Bihar Irrigation Act-1997 एवं अन्य existing acts की पूर्ण समीक्षा कर इसमें आवश्यक सुधार हेतु सरकार को अनुशंसा करेगी तथा आवश्यकतानुसार कैबिनेट/विधान सभा में प्रस्तुत करने हेतु सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने की आवश्यक कार्रवाई करेगी।

*ASOK KUMAR DAS*  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभियंता)

ज्ञापांक-2/पी०एम०सी०/61/2003-171 /राँची, दिनांक-1-3-21

प्रतिलिपि:- उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/ आप्त सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-I के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, राँची/विधि समन्वयक, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*ASOK KUMAR DAS*  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभियंता)